सुरेश चंद जैन एवं अन्य बनाम हरियाणा वित्तीय निगम एवं अन्य (एम.एम. कुमार, न्यायाधीश)

न्यायाधीश एम.एम. कुमार और अजय कुमार मित्तल के समक्ष

सुरेश चंद जैन एवं अन्य,— याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा वित्तीय निगम एवं अन्य,— प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक **9610** का **2007**

27 नवंबर, **2007**

भारत का संविधान, **1950**—अनुच्छेद **226**—भारतीय अनुबंध अधिनियम, **1872**—धारा **62**—याचिकाकर्ता हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा वितरित ऋण के लिए गारंटर के रूप में खड़े थे—निगम ने उधारकर्ता के पुनर्निर्धारण के पूरे बकाया राशि और **2** वर्षों की अवधि के लिए विस्तार के अनुरोध को स्वीकार किया—ऋण राशि की पुनः अदायगी में चूक—निगम द्वारा इकाई की बिक्री और अतिरिक्त सुरक्षाओं की बिक्री —गारंटरों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस—इसकी चुनौती—क्या बकाया राशि के पुनर्निर्धारण और उधारकर्ता को **2** वर्षों की अवधि का विस्तार देने से गारंटरों की देयता से मुक्ति मिलेगी—निर्धारित किया गया, नहीं—ऋण समझौते के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि गारंटी एक जारी गारंटी होगी और यह पूरी तरह से बलवान और प्रभावी रहेगी जब तक उधारकर्ता ने पूरी तरह से ऋण के साथ ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान नहीं कर दिया—ऋण के पुनर्निर्धारण और इसकी पुनः अदायगी की अवधि का विस्तार करने से यह गारंटरों के लाभ के लिए होता है न कि उनके नुकसान के लिए—इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अनुबंध का ऐसा नवीनीकरण हुआ है जो गारंटरों को मुक्त कर दे—याचिका खारिज की गई।

निर्धारित किया गया, कि ऋण समझौते के खंड 5 की प्रावधानों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त गारंटी एक जारी गारंटी होगी और यह तब तक पूरी तरह से बलवान और प्रभावी रहेगी जब तक कि उधारकर्ता ने संपूर्ण ऋण के साथ ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क, निश्चित क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क और समझौते के तहत देय सभी अन्य धनराशियों का पूर्ण भुगतान कर दिया है। खंड 18 में भी इसी शब्दों में प्रावधान किया गया है। इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल बकाया राशि के पुनर्निर्धारण और इस तरह दो वर्षों की अवधि के विस्तार पर, याचिकाकर्ता मुक्त हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने स्वयं गारंटर बने रहने के लिए सहमति जताई है जब तक कि ऋण का पुनः भुगतान न हो जाए। अतः, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल बकाया राशि का पुनर्निर्धारण और इस तरह दो वर्षों की अवधि का विस्तार कर देने से, याचिकाकर्ता मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ऋण की पुनः अदायगी होने तक गारंटर बने रहने की सहमति दी है। यदि गारंटी के इंस्ट्रूमेंट में किए गए परिवर्तन गारंटर के लाभ के लिए हैं, तो इससे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ऋण का पुनर्निर्धारण और इसकी अदायगी की अवधि का विस्तार जमानतदार के लाभ के लिए हुआ है, न कि उनके नुकसान के लिए। इसलिए, यह आधार नहीं बन सकता कि अनुबंध में ऐसा कोई नवीनीकरण हुआ है जो याचिकाकर्ताओं को मुक्त कर दे, जो कि गारंटर हैं।

(पैराग्राफ 7)

आर.पी. कंसल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।

कमल सहगल, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए।

सुश्री रितु बहरी, डीएजी, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के लिए।

एम.एम. कुमार, न्यायाधीश।

(1) इस याचिका को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर किया गया है जिसमें 24 मई, 2007 को प्रतिवादी संख्या 3 (पी-4 और पी-5) द्वारा जारी समन को निरस्त करने और याचिकाकर्ताओं से जो कि ऋण के गारंटर हैं, ₹2,77,85,429 या किसी अन्य राशि की वसूली न करने के निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई है, जिसे एम/एस कुरुक्षेत्र पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त किया गया था।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एम/एस कुरुक्षेत्र पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कुरुक्षेत्र (संक्षिप्तता के लिए, 'उधारकर्ता'), ने 7 अगस्त, 1997 को हरियाणा वित्तीय निगम-प्रतिवादी संख्या 1,—से ₹120 लाख का एक टर्म लोन प्राप्त किया था और याचिकाकर्ता उस ऋण के विरुद्ध गारंटर के रूप में खड़े थे। ऋण को 27 त्रैमासिक किस्तों में ब्याज @ 19% प्रति वर्ष के साथ चुकाना था। 27 वीं किस्त 1 अगस्त, 2005 तक चुकाई जानी थी। यह भी निर्धारित किया गया था कि यदि अंतिम किस्त 6 अगस्त, 2005 को चुकाई जाती है, तो कोई दंडात्मक ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा। जुलाई, 1999 में, उधारकर्ता की इकाई ने उत्पादन शुरू किया। 4 अक्टूबर, 2001 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने उधारकर्ता के पूरे बकाया राशि के पुनर्निर्धारण के साथ-साथ 2 वर्षों तक के विस्तार के अनुरोध को स्वीकार किया था, इस शर्त पर कि उधारकर्ता को ₹1,00,000 डाउन पेमेंट के रूप में चुकाना था (जो कि 28 सितंबर, 2001 को प्राप्त हुए थे), ₹3,00,000 अक्टूबर, 2001 में, ₹2,80,000 प्रत्येक माह नवंबर, 2001 से मार्च, 2001 तक। यह आगे प्रकट किया गया था कि 2 वर्षों की अवधि विस्तार के बाद, बकाया राशि जिसमें संचित ब्याज शामिल था, को अप्रैल, 2002 से शुरू होकर 6 अगस्त, 2007 तक 22 समान त्रैमासिक किस्तों में ₹12.32 लाख का भुगतान किया जाना था। शेष राशि, यदि कोई हो, तो ऋण की मुद्रा के भीतर भुगतान की जानी थी। 4 अक्टूबर, 2001 के पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि एक भी चूक कानूनी कार्रवाई सहित इकाई का कब्जा लेने के लिए पर्याप्त होगी और निगम द्वारा पुनर्निर्धारित राशि पर उच्च दर पर ब्याज लगाया जाना था (पी-2)। आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं को मूल ऋण समझौते की शर्तों में परिवर्तनों के बारे में उनकी सहमति देने के लिए नहीं कहा गया था। 11 जनवरी, 2002 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने उधारकर्ता के अनुरोध को स्वीकार किया और ऋण राशि की मुद्रा अवधि को 6 अगस्त, 2008 तक और विस्तारित किया गया (पी-3)।

(3) यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 निगम ने उधारकर्ता को उत्पादन शुरू होने से पहले दिसंबर, 1998 में ₹9,62,856 का भुगतान करने के लिए विवश किया और 4 अगस्त, 1998 से 27 दिसंबर, 2001 तक, उसके द्वारा ₹44,82,656 का भुगतान किया गया था। 19 फरवरी, 2002 को, उधारकर्ता की इकाई का कब्जा प्रतिवादी निगम द्वारा लिया गया और 24 फरवरी, 2003 को, एम/एस कुरुक्षेत्र पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की इकाई की सम्पत्ति सहित प्लांट, मशीनरी और अतिरिक्त मशीनरी को एक श्री संजय सिंगला के पक्ष में ₹47,50,000 की राशि में बेचा गया। प्रतिवादी निगम ने गारंटरों की अन्य सामान्य सुरक्षा और सम्पत्तियों को भी बेच दिया जिनकी कीमत ₹98,85,000 थी। इस तरह से, प्रतिवादी निगम द्वारा ₹1,43,67,656 की वसूली की गई है। यह और भी दावा किया गया है कि 16 जुलाई, 2004 को, वार्ड संख्या 6, पेहोवा में स्थित दो प्लॉट जिनका माप 2178 वर्ग फीट है, जिसमें आवासीय निर्मित भवन है, हाउस नंबर 542, जो कि याचिकाकर्ता संख्या 3 के स्वामित्व वाले थे, को ₹13,00,000 की राशि में बेचा गया था। अब, 24 मई, 2007 को दिनांकित समन (पी-4 और पी-5) तहसीलदार, थानेसर (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा जारी किये गए हैं जिसमें याचिकाकर्ताओं से प्रतिवादी निगम की ओर से बकाया राशि के रूप में ₹2,77,85,429 का भुगतान करने की मांग की गई है।

(4) प्रतिवादी निगम की ओर से दायर लिखित बयान में यह रुख अपनाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने 7 अगस्त, 1997 को गारंटी का एक बॉन्ड निष्पादित किया है, जिसमें उन्होंने प्रतिवादी निगम को ऋण की प्रतिपूर्ति की जिम्मेदारी संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से, बिना किसी शर्त के स्वीकार की है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने पूरी तरह से एक अपरिवर्तनीय गारंटी प्रस्तुत की है जिसमें वे सहमत हैं कि निगम को अपने एकमात्र विवेकानुसार वितरण या अंतरिम वितरण करने का अधिकार होगा और वह ऐसी शर्तों पर निर्णय ले सकता है जैसा कि निगम तय करे। उन्होंने यह भी सहमति दी है कि गारंटरों की किसी भी सहमति के बिना, उधारकर्ता और निगम को समझौते की शर्तों और बनाई गई सुरक्षा में परिवर्तन, संशोधन या मोडिफिकेशन करने की स्वतंत्रता थी। प्रतिवादी निगम को ऋण की प्रतिपूर्ति या ब्याज और अन्य धनराशियों के भुगतान को स्थगित करने, स्थगन करने या पुनरीक्षित करने का भी अधिकार दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी सहमति दी है कि गारंटी के तहत उनकी देयता किसी भी परिवर्तन, संशोधन, मोडिफिकेशन, छूट, आस्थगन के साथ या सुरक्षा की रिहाई से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगी और ऐसे परिवर्तन, संशोधन या मोडिफिकेशन आदि को प्रभावी करने के लिए गारंटर की और सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस संदर्भ में गारंटी के बोद के खंड 5 और 18 का संदर्भ दिया गया है (आर-2)। प्रतिवादी निगम ने यह भी दावा किया है कि उधारकर्ता ने केवल 4 अगस्त, 1998 से 27 दिसंबर, 2001 तक कुल ₹37,43,268 जमा किए हैं न कि ₹44,82,656 जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है। इसके अलावा यह भी इनकार किया गया है कि उसने कभी ₹9,62,656 की राशि का दावा किया है, बल्कि 21 अक्टूबर, 1998 को ₹4,85,716 की राशि के लिए एक मांग नोटिस जारी की गई थी, जो कि 1 नवंबर, 1998 को देय थी। इकाई का कब्जा लेने और उसे ₹47.50 लाख की राशि में बेचने के साथ ही ₹98,85,000 की अतिरिक्त सुरक्षा बेचने की प्रतिवादी निगम की कार्रवाई को न्यायसंगत ठहराया गया है, क्योंकि, पुनर्निर्धारण के बाद भी उधारकर्ता ने ऋण राशि की प्रतिपूर्ति में चूक की है। यह दावा किया गया है कि इकाई और गिरवी रखी गई सम्पत्तियों आदि की बिक्री के खिलाफ प्राप्त राशि को ब्याज और विविध खर्चों के खिलाफ समायोजित किया गया है और मूलधन वही रहा है जिस पर आगे का ब्याज और बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप ₹2,77,85,429 की राशि का संचय हुआ है। तदनुसार, प्रतिवादी निगम ने 14 नवंबर, 2006 की तारीख को निर्धारण नोटिस जारी करने के बाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फतेहाबाद के जिला कलेक्टर को वसूली प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

(5) पक्षों के लिए अधिवक्ताओं को काफी लंबाई में सुनने के बाद हम पाते हैं कि इस याचिका में योग्यता का अभाव है और इस प्रकार, इसे खारिज करने योग्य है। अनुबंध के नवीनीकरण की अवधारणा को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 62 द्वारा कल्पित किया गया है। अधिनियम की धारा 62 इस प्रकार है:

'अनुबंध के नवीनीकरण, निरसन, और परिवर्तन का प्रभाव।—यदि अनुबंध के पक्षकार इसे नए अनुबंध के स्थान पर स्थापित करने, या इसे निरस्त करने या परिवर्तित करने के लिए सहमत होते हैं, तो मूल अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है।'

(6) यह प्रसिद्ध है कि नवीनीकरण दो प्रकार का होता है (a) पक्षकारों के परिवर्तन से संबंधित नवीनीकरण; और (b) पुराने अनुबंध के स्थान पर नए अनुबंध के प्रतिस्थापन से संबंधित नवीनीकरण। वर्तमान मामला श्रेष्ठतः दूसरे प्रकार के नवीनीकरण में आता है। हालांकि, प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता, जो कि गारंटर हैं, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मुक्त हो जाएंगे। इस संबंध में ऋण समझौते के खंड 5 और 18 का संदर्भ लेना आवश्यक होगा जिस पर याचिकाकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं और वही इस प्रकार है

'5. गारंटर यहाँ इस बात से सहमत हैं कि, गारंटर की सहमति के बिना उधारकर्ता और एचएफसी को उक्त समझौते की शर्तों और सुरक्षा के निर्माण और उधारकर्ता द्वारा एचएफसी के पक्ष में निष्पादित सुरक्षा दस्तावेजों को विभिन्न, परिवर्तन या संशोधन करने की स्वतंत्रता होगी और विशेषकर उक्त ऋण की प्रतिपूर्ति

और/या ब्याज और उधारकर्ता द्वारा एचएफसी को देय अन्य धनराशियों के भुगतान को विलंबित करने, स्थगित करने या पुनरीक्षित करने के लिए एचएफसी द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले शर्तों और नियमों पर, ब्याज दर में किसी भी वृद्धि सहित। एचएफसी को उधारकर्ता द्वारा एचएफसी को उक्त ऋण को सुरक्षित करने के लिए दी गई या दी जाने वाली सभी या किसी भी सुरक्षा/सुरक्षाओं को पूरी तरह से छोड़ने या रिहा करने की स्वतंत्रता होगी। गारंटर सहमत हैं कि इस गारंटी के तहत देयता किसी भी इस प्रकार के परिवर्तन, अलगाव संशोधनों, छूट, आस्थगन के साथ या सुरक्षा की रिहाई से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगी, और ऐसे किसी भी परिवर्तन, अलगाव, संशोधन, छूट, आस्थगन के साथ, या सुरक्षा की रिहाई को प्रभावी करने के लिए गारंटरों की और सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।'

X X X X X X X

18. यह गारंटी एक सतत प्रकृति की होगी और तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगी जब तक कि कर्जदार उक्त ऋण को ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क, द्रव्य नुकसान, लागत, शुल्क और समय-समय पर देय होने वाली और एचएफसी को अदा न की गई अन्य सभी राशियों सहित पूर्ण रूप से चुकता नहीं कर देता है उक्त समझौते के तहत।"

(7) उपरोक्त प्रावधानों के परिशीलन से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत गारंटी एक सतत प्रकृति की होनी थी और यह तब तक पूर्ण प्रभावी रहेगी जब तक कर्जदार ने उक्त ऋण को ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क, द्रव्य नुकसान, लागत, शुल्क और समझौते के अंतर्गत देय होने वाली अन्य सभी राशियों के साथ पूर्ण रूप से चुकता नहीं कर देता है। धारा १८ में किये गए प्रावधान भी उसी शब्दावली में हैं। अतः, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल बाकी राशि की पुनर्निर्धारण और इस प्रकार दो वर्षों की अवधि का विस्तार करने से याचिकाकर्ता मुक्त हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने स्वयं ऋण चुकाने तक गारंटी जारी रखने के लिए सहमति दी थी। वैसे भी, अगर गारंटी के वाद्य यंत्र में परिवर्तन गारंटीदाता के लाभ के लिए हैं, तो इससे उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। एम.एस. अनिरुद्धन बनाम थॉमको के बैंक (१) मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि वाद्य यंत्र में मामूली परिवर्तन, जो जमानतदार के लाभ के लिए होते हैं, जमानतदार को दायित्व से मुक्त नहीं करते हैं। जमानतदार को तब मुक्ति मिल सकती है जब परिवर्तन उसके नुकसान के लिए हो या इसका अप्रमुख स्वरूप स्वयं सिद्ध न हो। वर्तमान मामले में, ऋण का पुनर्निर्धारण और इसके चुकाने की अवधि का विस्तार जमानतदार के लाभ के लिए था, न कि उनके नुकसान के लिए। इसलिए, इसे याचिकाकर्ताओं, जो गारंटीदाता हैं, की मुक्ति का आधार के रूप में नहीं माना जा सकता। एम.एस. अनिरुद्धन के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम खिलौना बनाम सरदार (२) मामले में और भी मान्य किया है।

(8) उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए नवीनीकरण संबंधी तर्क को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है और तदनुसार याचिकाकर्ताओं को मुक्त किया जाना संभव नहीं है। कोई अन्य तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, रिट याचिका पूर्णतया निराधार है और वही खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी , हरियाणा